


22¹²/₂₁

प्रार्थी के अधिकृतता उपास्थित । अप्रार्थी सं.
2 व 3 के अधिकृतता उपास्थित । मूल निगरानी
प्रार्थना-पत्र निर्णीत हो चुका है, लिहाजा
यह प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं होने से
खारिज किया जाता है । पत्रावली निर्णय
शुमार होकर नंबर से कम हैं व दाखिल
दफतर हैं ।


अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

